रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस०एम०/13-14/96.

राजपत्र हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 2 अप्रैल, 1996/13 चैत्र, 1918

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

(विधायी एवं राजभाषा खण्ड)

अधिसूचना

शिमला –171002, 4 अगस्त, 1995

संख्या: एल० एल० आर० (राजभाषा) बी०(16)-1/95.—हिमाचल प्रदेश लैण्ड डिवैल्पमैन्ट ऐक्ट, 1973 (1873 का 14) के राजभाषा (हिन्दी अनुवाद को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के तारीख 11-7-1995

के प्राधिकार के अधीन एतद्द्वारा राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है और यह हिमाचल प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1981 (1981 का 12) की धारा 3 के अधीन उक्त अधिनियम का राजभाषा (हिन्दी) में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

हस्ताक्षरित/-

सचिव (विधि)।

हिमाचल प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1973

(1973 का 14)

(31-5-1995 को यथाविद्यमान)

हिमाचल प्रदेश में भूमि विकास स्कीम तैयार और निष्पादित करने, बंजर भूमि को ठीक करने और निजी जंगलों और घासस्थली के नियंत्रण का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के चौबीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय—I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1973 है ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश पर है ।

(3) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त नियत करे ।

परिभाषाएं ।

2. इस अधिनियम में जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात विरुद्ध न हो, —

(क) "समिति" से धारा 3 के अधीन जिले के लिए गठित जिला भूमि विकास समिति अभिप्रेत है ;

(ख) किसी भूमि के सम्बन्ध में "स्वामी" से भूमि में सांपत्तिक अधिकार रखने वाला व्यक्ति अभिप्रेत है और इस के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) ऐसे अधिकार का भोग बन्धकदार, और

(ii) इसमें इसके पश्चात् यथा परिभाषित भूमि का अधिधारी है ;

(ग) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(घ) "उद्धार" के अन्तर्गत खेती करना, वन रोपण और भूमि का अन्य सुधार है ;

(ङ) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ; और

(च) "अभिधारी" के अन्तर्गत अभिधारी के अधिकारों का भोग बन्धकदार है ।

अध्याय—II

जिला भूमि विकास समिति और भूमि विकास स्कीमें

जिला भूमि-विकास समितियों का गठन ।

3. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रत्येक जिले के लिए निम्नलिखित सदस्यों से गठित जिला विकास समिति का गठन कर सकेगी, अर्थात्:—

(क) सम्बन्धित जिले का उपायुक्त जो समिति का अध्यक्ष होगा ;

(ख) दो सरकारी सदस्य, जो कृषि या सिंचाई इंजीनियरी या वन-विज्ञान में अनुभव रखने वाले व्यक्ति होंगे, और

(ग) दो गैर-सरकारी सदस्य ।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि, जब तक राज्य सरकार के राजपत्र में अधिसूचित आदेश द्वारा विस्तारित नहीं की जाती है, उप-धारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से पांच वर्ष होगी :

परन्तु आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य की पदावधि उस व्यक्ति की अनवसित अवधि होगी जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है ।

(3) सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष को लिखित नोटिस द्वारा अपना पद त्याग सकेगा ।

(4) राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समिति के किसी भी सदस्य को हटा सकेगी—

(क) यदि वह कार्य करने से इन्कार करता है या वह राज्य सरकार की राय में कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या दिवालिया घोषित किया गया है अथवा ऐसे किसी अपराध में दोषी पाया गया है या दाण्डिक न्यायालय द्वारा ऐसे किसी आदेश के अधीन किया गया हो जिससे राज्य सरकार की राय में ऐसा चरित्र दोष विवक्षित होता है जो उसे सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त बनाता है ;

(ख) यदि वह, अधिसूचना द्वारा नियोजन के लिए निरर्हित घोषित किया गया है या लोक सेवा से पदच्युत कर दिया गया है । और निरर्हता या पदच्युति का कारण ऐसा है जिससे राज्य सरकार की राय में ऐसा चरित्र दोष विक्षित होता है जो उसे सदस्य बनने के लिए अनुपयुक्त बनाता है ;

(ग) यदि राज्य सरकार की राय में वह बिना किसी उचित कारण के और बिना समिति की आज्ञा से समिति के दस से अधिक क्रमवर्ती बैठकों से अनुपस्थित रहा है ;

(घ) यदि राज्य सरकार की राय में उसने समिति के सदस्य के रूप में अपनी स्थिति का घोर दुरुपयोग किया है ; या

(ङ) यदि वह, विधि व्यवसायी होते हुए, किसी व्यक्ति की ओर से समिति के विरुद्ध या राज्य सरकार की ओर से या उसके विरुद्ध किसी विधिक कार्यवाही में कार्य करता है या हाजिर होता है, जहां राज्य सरकार की राय में ऐसा कार्य करना या हाजिर होना समिति के हितों के प्रतिकूल है :

परन्तु राज्य सरकार द्वारा इस धारा के अधीन किसी सदस्य के हटाए जाने को अधिसूचित करने से पूर्व, उसके प्रस्तावित हटाए जाने के कारण, सम्बन्धित सदस्य को संसूचित किए जाएंगे और उसे लिखित स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जाएगा ।

(5) समिति द्वारा किया गया कोई भी कार्य केवल किसी रिक्ति की विद्यमानता या समिति के गठन में किसी त्रुटि के आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) यदि समिति के सदस्यों में किसी प्रश्न के बारे में कोई मतभेद हो तो उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों के बहुमत का विनिश्चय अभिभावी होगा, और मत बराबर होने की दशा में अध्यक्ष का निर्णायक मत होगा ।

वे विषय जिनके लिए भूमि-विकास स्कीमों में उपबन्ध किया जा सकेगा ।

4. (1) समिति निम्नलिखित विषयों में से एक या अधिक के लिए उपबन्ध करते हुए भूमि विकास स्कीमें तैयार कर सकेगी, अर्थात :—

(i) कृषि भूमि के समतलीकरण, टीलाबन्दी और बांध द्वारा भूमि का परिरक्षण और सुधार ;
(ii) भूमि-कटाव का निवारण ;
(iii) नदियों, नालों, या झरनों, ट्यूब वैल, कुओं के (बोरिंग) बंधन या निर्माण द्वारा बांधों के निर्माण या शक्ति का प्रयोग करके अथवा किसी अन्य साधन से वर्षा के पानी को संरक्षित करके, पानी के उपयोग द्वारा जल प्रदाय में सुधार ;
(iv) खेती की पद्धतियों में सुधार;
(v) बरानी खेती की पद्धतियों का आरम्भ किया जाना ;
(vi) बीजों, कृषि के समुन्नत उपकरणों, खाद और उर्वरकों का प्रदाय ;
(vii) औद्यानिकी में सुधार और फलदार वृक्षों का रोपण ;
(viii) जलाक्रान्ति, रेत संचलन, वन विकास, भूमि कटाव या किसी दूसरे कारण द्वारा बंजर पड़ी भूमि का उद्धार;
(ix) स्वामी की उपेक्षा, या असमर्थता, अथवा अनुपस्थिति के कारण बरानी पड़ी हुई भूमि की खेती ;
(x) चराई और कोंपल चराई का विनियमन या प्रतिषेध ;
(xi) वृक्ष उत्पति का अनुसरण और नियन्त्रण ;
(xii) वनस्पति के ईंधन का विनियमन या प्रतिषेध ;
(xiii) अकृष्य भूमि पर वनरोपण करने के लिए पेड़, झाड़ियां और घास लगाना या रोपित करना या वायु प्रवाह अथवा रेत संचालन के या किसी अन्य प्रयोजन के विरुद्ध रोधी पट्टियों की व्यवस्था करना ;
(xiv) टिड्डियों और दूसरे नाशकीटों से बचाव ;
(xv) गांव के रास्तों और सड़कों का बनाना, सुधार और अनुरक्षण ; और
(xvi) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन तैयार की गई प्रत्येक स्कीम में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात् :—

(i) स्कीम के उद्देश्य ;
(ii) स्कीमी में सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरा ;
(iii) स्कीम के अधीन किए जाने वाले कार्य या कार्यों का प्रकार ;
(iv) अभिकरण जिनके द्वारा कार्य किए जाएंगे ;
(v) स्कीम की अनुमानित लगभग लागत ;
(vi) सरकार और संबंधित क्षेत्र के स्वामी क वित्तीय या अन्य कर्त्तव्य और बाध्यताएं और रीति जिसमें श्रम के रूप में स्वामी अपने कर्त्तव्यों और वित्तीय बाध्यताओं का भागतः या पूर्णतः निर्वहन कर सकेगा; और
(vii) ऐसी अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाएं ।

स्कीमों की जांच व मन्जूरी ।

5. (1) समिति द्वारा धारा 4 के अधीन स्कीम तैयार किए जाने के पश्चात्, राज्य सरकार :—

(क) एक जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगी; और
(ख) इस द्वारा प्रभावित व्यक्तियों से और उस क्षेत्र की ग्राम पंचायत से, जिससे स्कीम संबंधित है, ऐसे समय और रीति में जो विहित की जाए, सुझाव आमंत्रित करने के लिए, स्कीम को विहित रीति में प्रकाशित करवा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार, जांच के अभिलेख और जांच अधिकारी की रिपोर्ट पर विचार करने और सम्बन्धित समिति से परामर्श करने के पश्चात् या तो उपांतरण सहित या उसके रहित स्कीम को मंजूरी दे सकेगी या नामंजूर कर सकेगी ।

स्कीमों का प्रकाशन ।

6. धारा 5 के अधीन मंजूर प्रत्येक स्कीम विहित रीति से उपायुक्त द्वारा प्रकाशित की जाएगी और ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगी जैसी उस द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।

विनियम बनाने की शक्ति ।

7. समिति शासकीय राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, स्कीम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए या उससे अनुपूरक या आनुषंगिक किसी विषय के बारे में विनियम बना सकेगी और इस प्रकार बनाए गए विनियम समिति द्वारा विहित रीति में प्रकाशित किए जाएंगे ।

अनुदान या ऋण देने की शक्ति ।

8. उपायुक्त किसी व्यक्ति को किसी स्कीम के अधीन कोई कार्य कार्यान्वित करने के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर ऋण मंजूर कर सकेगा या दे सकेगा जो विहित की जाएं ।

(2) ऋण की राशि या उसकी कोई किस्त अथवा उस पर ब्याज, जो भी देय हो, किन्तु ऋण के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार प्रतिसंदत्त न किया गया हो, विधि द्वारा उपबन्धित किसी दूसरे उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ।

शास्ति ।

9. (1) कोई स्कीम या धारा 7 के अधीन विनियम बनाते समय समिति यह उपबन्ध कर सकेगी कि स्कीम या ऐसे विनियमों के ऐसे उपबन्धों का उल्लंघन, जो विनिर्दिष्ट किए जाएं, साधारण कारावास से, जो एक मास तक हो सकेगा, या जुर्माने से, जो दो सौ रुपए तक हो सकेगा, अथवा दोनों से दण्डनीय होगा ।

(2) किसी व्यक्ति को उप धारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी उल्लंघन के लिए, सिवाय उपायुक्त या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त, प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी के लिखित परिवाद के अभियोजित नहीं किया जाएगा ।

स्वामी के व्यय पर सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्य ।

10. (1) जहां स्कीम के अधीन किसी भी भूमि पर उसके स्वामी या स्वामियों के व्यय पर कोई कार्य किया जाना हो और ऐसा स्वामी या ऐसे स्वामियों में से कोई कार्य कार्यान्वित करने का इच्छुक हो तो वह स्कीम के प्रवृत्त होने के साठ दिन के भीतर उस आशय की उपयुक्त को लिखित सूचना दे सकेगा ।

(2) ऐसी सूचना की प्राप्ति पर उपायुक्त, स्वामी को कार्य का पूर्ण विवरण देगा और ऐसी तारीख नियत करेगा जिससे पहले स्वामी द्वारा कार्य कार्यान्वित किया जाएगा ।

(3) यदि स्वामी कार्य को उपायुक्त द्वारा नियत तारीख से पूर्व उसके समाधानप्रद रूप में कार्यान्वित करने में असफल रहता है या स्वामी किसी समय ऐसा करने में अपनी असमर्थता लिखित रूप में उपायुक्त को सूचित करता है, तो उपायुक्त कार्य को ग्राम पंचायत या ऐसी किसी दूसरी ऐजैन्सी द्वारा जैसी वह उचित समझें, कार्यान्वित करवा सकेगा और कार्य कार्यान्वित करने में उपगत व्यय स्वामी से भू- राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जा सकेगा ।

(4) जहां इस धारा के अनुसरण में कोई कार्य एक या एक से अधिक स्वामियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है, वहां दूसरे स्वामी उस द्वारा या उन द्वारा उपगत व्यय में ऐसी राशि का अभिदाय करने के लिए दायी होंगे जैसी समिति अवधारित करें ।

कार्य में लाभान्वित अन्य भू-स्वामियों द्वारा अभिदाय ।

11. जहां स्कीम के अधीन स्वामी या उपायुक्त द्वारा स्वामी के व्यय पर कोई कार्य कार्यान्वित किया जाता है और समिति की राय में कार्य से स्कीम के अन्तर्गत आने वाली अन्य भूमि को फायदा होना सम्भावित हो, तो ऐसी भूमि के स्वामी कार्य को कार्यान्वित किए जाने वाले व्यय में ऐसी राशि का अभिदाय करने के लिए दायी होंगे, जैसी कि समिति द्वारा अवधारित की जाए :

परन्तु राज्य सरकार सरकारी भूमि पर किए गए किसी कार्य के बारे में उस प्रकार देय अभिदाय को पूर्णतः या उस के किसी भाग को माफ कर सकेगी ।

अभिदाय की वसूली ।

12. धारा 10 की उप-धारा (4) या धारा के अधीन समिति द्वारा अवधारित अभिदाय की राशि, संबद्ध व्यक्तियों द्वारा ऐसी अवधि के भीतर संदत्त की जाएगी जैसी कि समिति द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, और ऐसे संदाय के व्यतिक्रम में, उन व्यक्तियों से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जाएगी और अभिदाय के लिए हकदार व्यक्तियों को संदत्त की जाएगी ।

कार्य को कार्यान्वित करने और स्वामियों से व्यय वसूल करने की शक्ति ।

13. स्कीम में किसी बात के होते हुए भी, समिति निदेश दे सकेगी कि किसी भूमि पर उसके स्वामियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाला या कार्यान्वित किए जाने के लिए शेष कार्य, उपायुक्त द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा और कार्य के कार्यान्वयन में होने वाला सम्पूर्ण व्यय या उसका विनिर्दिष्ट भाग, भू-स्वामियों से भू- राजस्व की बकाया के रूप में, ऐसे अनुपात में, ऐसे समय पर और ऐसी किस्तों में, जैसी कि समिति वसूल की जाने वाली राशि को और भू-स्वामियों के भूमि में अधिकारों के प्रकार और परिमाण को ध्यान में रखते हुए, नियत करे, वसूल किया जाएगा ।

कार्य का ब्योरा दर्शित करने वाला विवरण और नक्शा ।

14. (1) स्कीम के अधीन किसी कार्य के पूर्ण होने पर उपायुक्त निम्नलिखित तैयार करेगा :—

(क) ऐसे प्ररूप में और ऐसी विशिष्टियों से युक्त एक विवरण, जैसा कि विहित किया जाए; और

(ख) कार्य की अवस्थिति और तात्विक ब्योरे दर्शित करने वाला नक्शा ।

(2) इस प्रकार तैयार किया गया प्रत्येक विवरण और नक्शा, समिति के अनुमोदन पर, यथास्थिति, बन्दोबस्त अभिलेख या विवरण में विनिर्दिष्ट संपदा अधिकार के अभिलेख का भाग बन जाएगा और उक्त अभिलेख जहां भी आवश्यक हो, विवरण के अनुसार सही ही किया जाएगा ।

कार्य की मुरम्मत और नवीकरण ।

15. यदि धारा 14 के अधीन तैयार किए गए विवरण में, कार्य को अनुरक्षण और सही हालत में रखने के लिए दर्शित दायी कोई व्यक्ति, ऐसी मुरम्मत या नवीकरण करने या ऐसा करने में ऐसे समय के भीतर, जैसा कि उपायुक्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करें, असफल रहता है तो, उपायुक्त ग्राम पंचायत या ऐसी दूसरी ऐजेन्सी द्वारा जैसी वह उचित समझें मुरम्मत या नवीकरण करवा सकेगा और ऐसा करने में उस द्वारा उपगत व्यय, उक्त व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा ।

प्रवेश आदि का अधिकार ।

16. (1) समिति का कोई सदस्य, अधिकारी, अधीनस्थ या कर्मकार या इस निमित्त उपायुक्त द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति, किसी भूमि के कब्जाधारी स्वामी को, ऐसा नोटिस देने के पश्चात जैसा कि विहित किया जाए, इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन, किसी भू-सुधार स्कीम को तैयार करने, जांच करने या निष्पादित करने के प्रयोजन से भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण कर सकेगा या भूमि में या पर कोई कार्य कर सकेगा या कोई कार्य कार्यान्वित कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक ऐसा संदस्य, अधिकारी, अधीनस्थ कर्मकार या व्यक्ति, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

अपीलें

17. निम्नलिखित से व्यथित कोई व्यक्ति :—

(क) धारा 10 की उप-धारा (4) के अधीन समिति के अवधारण द्वारा; या
(ख) धारा 14 के अधीन तैयार किए गए विवरण में किसी प्रविष्टि या प्रविष्टि करने में असफलता द्वारा ;
(ग) धारा 15 के अधीन उपायुक्त के आदेश द्वारा ;

विहित समय के भीतर और विहित रीति से, विहित प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और किसी विधि में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय और जहां कोई अपील प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो यथापूर्वोक्त अवधारण, आदेश या विवरण, अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा ।

नियंत्रण की शक्ति ।

18. राज्य सरकार, समय-समय पर समिति से कोई रिपोर्ट मंगवा सकेगी या कोई निदेश दे सकेगी और समिति ऐसी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी और ऐसे निदेश को कार्यान्वित करेगी ।

अध्याय—III

बंजर भूमि का उद्धार

परिभाषाएं

19. इस अध्याय में :—

(क) "कब्जा लेने की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है, जिसको धारा 20 के अधीन सरकार की ओर से भूमि का अस्थाई कब्जा लिया जाता है ;
(ख) "बंजर भूमि" से ऐसी भूमि अभिप्रेत है जो जलाक्रान्ति, रेत संचलन, जंगल के वर्धन, मिट्टी के कटाव, या किसी अन्य कारण से बंजर पड़ी है या कम से कम लगातार तीन वर्ष के लिए अकृष्य रही है ।

बंजर भूमि का कब्जा लेने का आदेश ।

20. (1) यदि समिति का समाधान हो जाता है कि बंजर भूमि के उद्धार के लिए धारा 5 के अधीन मंजूर की गई स्कीम का निष्पादन करने के लिए, यह आवश्यक है कि किसी भूमि का अस्थाई कब्जा ले लिया जाना चाहिए, तो वह लिखित आदेश द्वारा, उपायुक्त को सरकार की ओर से ऐसी भूमि का अस्थायी कब्जा ऐसी तारीख को जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की गई हो, लेने का निदेश दे सकेगी ।

(2) आदेश ऐसे प्ररूप में दिया जाएगा और भू-स्वामी को ऐसी रीति में सूचित किया जाएगा जैसी विहित की जाए ।

(3) आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को, उपायुक्त या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी भूमि में प्रवेश करेगा और सरकार की ओर से, कब्जा लेगा ।

उद्धार के लिए इन्तजाम ।

21. जब भूमि का कब्जा ले लिया गया हो तो उपायुक्त, समिति के अनुमोदन से निम्नलिखित द्वारा इसके उद्धार का इन्तजाम कर सकेगा :—

(क) इसे अपने प्रबन्ध के अधीन ऐसी अवधि के लिए रखकर जैसी वह उचित समझें; या

(ख) इसे ऐसी अवधि और ऐसे निबन्धनों पर, जो समिति द्वारा नियत किए जाएं, उस व्यक्ति के साथ, कब्जा लेने की तारीख को भूमि जिसके विधिपूर्ण अधिकार में थी, या ऐसे कब्जे के लिए हकदार था, या यदि ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो गई हो उसके हित उत्तराधिकारी के साथ, व्यवस्थापित करके; या

(ग) उपर्युक्त पद्धतियों के संयोजन द्वारा :

परन्तु वह कुल अवधि जिसके लिए इस धारा के अधीन भूमि रखी गई है या व्यवस्थापित की गई है, दस वर्ष से अधिक नहीं होगी।

भाटक की बकाया का दावा सरकार इत्यादि के विरुद्ध प्रवर्तित न होगा।

22. भूमि की बाबत, कब्जा लेने की तारीख से पूर्व अवधि के लिए, प्रोदभूत या देय भाटक की बकाया के लिए भू-स्वामी का कोई दावा, इसके पश्चात् चाहे किसी डिक्री के निष्पादन में या अन्यथा, सरकार के विरुद्ध सरकार के अधीन भूमि धारण करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध या भूमि के विरुद्ध किसी आदेशिका के जारी किए जाने द्वारा, किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तित नहीं किया जाएगा।

पूर्ण होने पर कब्जे का पर्यवसान।

23. जब उपायुक्त की राय में भूमि उद्धार किसी मामले में कब्जा लेने की तारीख से 10 वर्षों की अवधि के समाप्त होने के पूर्व, पूर्ण हो जाए, तो उपायुक्त विहित रीति से जांच करने के पश्चात लिखित आदेश द्वारा :—

(क) घोषणा करेगा कि भूमि या कब्जा ऐसी तारीख को जैसी कि आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए उस मालिक को प्रत्यावर्तित किया जाएगा, कब्जा लेने की तारीख को, भूमि जिसके विधिपूर्ण कब्जे में थी या जो ऐसे कब्जे के लिए हकदार था या यदि उसकी मृत्यु हो गई हो तो उसके हित उत्तराधिकारी को ;

(ख) ऐसे व्यक्ति का अवधारण करेगा जिसे ऐसा कब्जा प्रत्यावर्तित किया जाना है ;

(ग) जहां ऐसा व्यक्ति अभिधारी है तो वह भूमि के प्रयोग या अधिभोग के कारण देय भाटक का अवधारण करेगा ; और

(घ) जहां भूमि या उसके किसी भाग के वनरोपण किया गया हो वहां ऐसी भूमि पर वृक्षों के कटान का विनियमन करेगा।

(2) उक्त आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को, सरकार द्वारा भूमि का कब्जा, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित व्यक्ति को परिदत्त किया गया समझा जाएगा।

(3) उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन अवधारित व्यक्ति को भूमि के कब्जे का परिदान अन्तिम होगा और ऐसे परिदान के बारे में सरकार को समस्त दायित्वों से मुक्त करेगा, किन्तु इसका, भूमि की बाबत किसी अधिकार पर, जिसके लिए कोई अन्य व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जिसको भूमि का कब्जा परिदत्त किया गया है, प्रवर्तित करने के लिए, विधि की सम्यक प्रक्रिया द्वारा हकदार हो, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कब्जे की अवधि के लिए प्रतिकर।

24. (1) उपायुक्त भूमि का कब्जा लेने के पश्चात यथाशक्यशीघ्र, विहित रीति से जांच करेगा और निम्नलिखित अवधारित करेगा :—

(क) किसी भूमि की बाबत जो कथित तारीख को अभिधारी के कब्जे में थी :—

(i) उसके द्वारा देय वार्षिक भाटक, और

(ii) उक्त तारीख से तुरन्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान उस द्वारा, भाटक की कटौती करने के पश्चात् प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय, यदि कोई हो, और

(ख) उक्त तारीख से तुरन्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मालिक द्वारा देय भू-राजस्व की कटौती किए बिना, किसी दूसरी भूमि की बाबत, प्राप्त शुद्ध औसत वार्षिक आय, यदि कोई हो ।

(2) सरकार द्वारा, धारा 23 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट तारीख तक, कब्जा लेने की तारीख की प्रत्येक आब्दिकी पर, प्रतिकर के रूप में निम्नलिखित देय होगा :—

(क) ऐसी भूमि के बाबत जो कि उप-धारा (1) के खण्ड (क) में निर्दिष्ट है, उसके उप-खण्ड (i) में अवधारित राशि, भू-स्वामी को और उसके उप-खण्ड (ii) में अवधारित राशि अभिधारी को ; और

(ख) किसी दूसरी भूमि की बाबत, उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में अवधारित राशि भू-स्वामी को ।

(3) इस धारा के प्रयोजन के लिए "भू-स्वामी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अधीन अभिधारी भूमि रखता हो और जिसको अभिधारी उस भूमि के लिए भाटक के संदाय के लिए दायी है या यदि विशेष संविदा न हो तो, दायी होगा और किसी स्वामी, भू-स्वामी या अभिधारी के लिए किसी निर्देश में स्वामी, भू-स्वामी या अभिधारी के पूर्ववर्ती और हित-उत्तराधिकारी सम्मिलित समझे जाएंगे ।

लेखे

25. समिति ऐसी रीति और ऐसे प्ररूप में और ऐसे नियमों के अनुसार जैसे कि विहित किए जाएं, भूमि की बाबत सरकार द्वारा सभी प्राप्तियों और संदाय का लेखा रखेगी और कोई स्वामी या भूमि में हित रखने वाला अन्य व्यक्ति, 50 पैसे की फीस के संदाय पर लेखे का निरीक्षण कर सकेगा ।

सरकार द्वारा उपगत शुद्ध व्यय की वसूली ।

26. (1) इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन, भूमि के उद्धार पर, सरकार द्वारा उपगत शुद्ध व्यय या उस व्यय का ऐसा भाग जैसा कि राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाए, विहित दरें और विहित रीति से निकाले गए ब्याज के साथ, उस व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल किया जाएगा, जिसे धारा 23 की उप-धारा (2) के अधीन भूमि का कब्जा परिदत्त किया गया है ।

(2) उप-धारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति से वसूल की जाने वाली राशि, समिति द्वारा विनिश्चित की जाएगी ।

अपीलें

27. धारा 20, धारा 23, धारा 24 या धारा 26 की उप-धारा (2) के अधीन, यथास्थिति, समिति या उपायुक्त के आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, विहित समय के अन्दर और विहित रीति से राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और ऐसी अपील पर सरकार का विनिश्चय, और जहां कोई अपील नहीं की जाती है, वहां उपरोक्त आदेश अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होगा ।

28. इस अध्याय के उपबन्धों के अधीन सरकार की ओर से किसी भूमि का कब्जा लेना और रखना भूमि की बाबत किसी भी व्यक्ति के भू-राजस्व, रेट या उपकर के संदाय के दायित्व को कब्जा लेने की तारीख से पहले या पश्चात् किसी भी कालावधि के लिए प्रभावित नहीं करेगा । भू-राजस्व, रेट और उपकरों के लिए दायित्व का जारी रहना ।

अध्याय—IV

अनुपूरक

29. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी । नियम बनाने की शक्ति ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) समिति द्वारा कामकाज का संचालन और समिति की बैठकों में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
(ख) स्कीमों को तैयार करने के लिए अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
(ग) धारा 5 के अधीन जांच अधिकारी द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;
(घ) धारा 5, 6 और 7 के अधीन प्रकाशन की रीति ;
(ङ) वे सिद्धांत, जिन पर, समिति द्वारा धारा 10 की उप-धारा (4) या धारा 11 के अधीन, अंशदान की राशि अवधारित की जानी है ;
(च) धारा 14 के अधीन विवरण का प्ररूप और उसमें विवरणित की जाने वाली विशिष्टियां ;
(छ) धारा 16 की उप-धारा (1) के अधीन नोटिस (सूचना) देने की रीति ;
(ज) प्राधिकारी जिसे अपील की जा सकेगी और धारा 17 के अधीन ऐसी अपील करने का समय और रीति ;
(झ) धारा 20 के अधीन नोटिस का प्ररूप और तामील करने की रीति ;
(ञ) धारा 23 और धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन जांच की रीति ;
(ट) धारा 25 के अधीन लेखे रखने का प्ररूप और ढंग ;
(ठ) धारा 26 की उप-धारा (1) के अधीन ब्याज की दर और इसके निकालने का ढंग ;
(ड) धारा 27 के अधीन अपील का समय और रीति ; और
(ढ़) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(3) इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशक्यशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा । यह अवधि एक सत्र में या दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी । यदि उस सत्र के जिसमें कि वह इस प्रकार रखा गया तो, या पूर्वोक्त सत्रों के अवसान से पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह, यथास्थिति, ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

अधिनियम के अधीन की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

30. (1) इस अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य कार्यवाही, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय, अधिनियम के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई हो या किए जाने के आशयित किसी बात से हुए या हो सकते वाले किसी नुकसान के लिए कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही सरकार के विरुद्ध न होगी ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

31. प्रथम नवम्बर, 1966 से ठीक पहले हिमाचल प्रदेश में समाविष्ट क्षेत्रों में यथा लागू हिमाचल प्रदेश भूमि विकास अधिनियम, 1954 (1954 का 12), पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 5 के अधीन हिमाचल प्रदेश में जोड़े गए क्षेत्रों में यथाप्रवृत्त है, भू-विकास स्कीम अधिनियम, 1963 (1963 का 23), पूर्वी पंजाब भू-उद्धार अधिनियम, 1949 (1949 का 22), पंजाब भू-उद्धार अधिनियम, 1959 (1959 का 21)), एतद्द्वारा निरसित किए जाते हैं :

परन्तु एतद्द्वारा निरसित अधिनियमों के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई अथवा प्रारम्भ या चालू रखी गई कार्यवाही, इस अधिनियम के तत्स्थनी उपबन्धों के अधीन की गई प्रारम्भ या चालू रखी गई समझी जाएगी ।

नियन्त्रक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।